उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404

संख्या :: **313/05/E-4/DR(AE)/2021-22** दिनाँक :: 07 अप्रैल, 2022

विज्ञप्ति
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा–2021

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्याः 130/05/E-4/DR(A.E.)/2021-22 दिनांक 31 अगस्त 2021, विज्ञप्ति संख्या–145/05/ई0–4/डी0आर0(ए0ई0)/2021–22 दिनांक 21 सितम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति संख्या–229/05/ई0–4/डी0आर0(ए0ई0)/2021–22 दिनांक 17 जनवरी, 2021 द्वारा विज्ञापित **'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा–2021'** के रिक्त पदों के सापेक्ष लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा का आयोजन दिनांक **23 अप्रैल, 2022 (शनिवार) से 27 अप्रैल, 2022 (बुधवार)** तक कराया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परीक्षा 19 नगरों में आयोजित किये जाने हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में विकल्प प्राप्त किये गये थे, परन्तु कतिपय नगरों में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होने एवं बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों द्वारा उक्त परीक्षा कराये जाने हेतु असहमति प्रकट करने के कारण उक्त परीक्षा का आयोजन मा0 आयोग के निर्णयानुसार केवल चार नगरों हरिद्वार, रूडकी, देहरादून एवं हल्द्वानी में निर्धारित है।

2– प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से कम से कम 01 दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र की स्थिति (Location) वहां जाकर अवश्य देख ले, ताकि परीक्षा के दिन निर्धारित समय पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुॅच सकें।

3– प्रश्नगत परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध पर मा0 आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में डाक, ई–मेल एवं अन्य माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होंगे।

4– उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने में यदि अभ्यर्थी को कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो अभ्यर्थी उक्त समस्या से सम्बन्धित विवरण (एप्लीकेशन नं0, नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि का उल्लेख करते हुए) आयोग की हेल्पलाइन **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं।

5– परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग विषयों में केवल **Non Programmable Simple Battery Operated Calculator** अनुमन्य है। अतः अभ्यर्थी आश्वस्त हो लें कि उनके पास उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कैल्कूलेटर न हो।

6– परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी शासन द्वारा कोविड–19 की रोकथाम हेतु समय–समय पर जारी होने वाले दिशा–निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

Sd/-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।